उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 271—पें0एण्डआर0—28/पाकालि/16—02—पे0एण्डआर0/2015,   दिनांक : 05 अप्रैल, 2016

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल
वाराणसी/मेरठ/आगरा, लखनऊ, केस्को (कानपुर)/ट्रान्सको, लखनऊ।

विषय : **कार्मिकों तथा/अथवा उनके हितग्राहियों को देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण आदि प्रकरणों का निर्धारित समय सारणी के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाना।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं, पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के कर्मचारी एवं अधिकारी उ0प्र0 शासन की अनुरूपता में पेंशन योजना से आवरित थे। दिनांक 14.01.2000 को उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के विघटन के पश्चात् बने ऊर्जा क्षेत्र के निगमों में उक्त परिषद से स्थानान्तरित/आमेलित अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा पूर्ववत् अनुमन्य है। सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों के पेंशनरी देयों एवं आनुतोषिक आदि की अदायगी में लगने वाले विलम्ब को दूर करने की दृष्टि से पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ने समय सारणी निर्धारित करते हुए ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में परिहार्य बिलम्ब न लगने देने के दृढ़ निर्देश पार्श्वांकित परिपत्रों/कार्यालय ज्ञापों द्वारा जारी किए गए थे।

1.	सं0—8228—जी/राविप—एफ—102ए/78 दिनांक 05.11.78 के साथ पठित शासनादेश संख्या—सा—3—2085/10/907/76 दिनांक 13.12.1977
2.	सं0—893—पें0—31/राविप/461(पी)/89 दि0 21.06.19 के साथ पठित शासनादेश संख्या—सा—3—1713/दस—87—933/89 दिनांक 28.07.1989
3.	सं0—623—पेंशन—31/राविप/97—49पी/89 दिनांक 21.05.1997

उ0 प्र0 पा0 का0 इ0 ट्रस्ट
शक्ति भवन, लखनऊ
डा0सं0........../ट्रस्ट दिनांक.........
आवश्यक/महत्वपूर्ण
1. उपसचिव/अधिशासी अभियन्ता
2. लेखाधिकारी
3. स0 लेखाधिकारी श्री.........
4. कार्य अधिकारी श्री.........
5. लेखाकार श्री.........
6. स0 लेखाकार श्री.........

पावर कारपोरेशन के अस्तित्व में आने के पश्चात् पावर कारपोरेशन द्वारा भी इस विषय पर क्रमशः संख्या 1536—पी0एण्डआर0—28/पाकालि—2003—46पी/89, दिनांक 21.05.2003, संख्या 832—पी0विनी (29)/पाकालि/2004 दिनांक 02.09.2004 एवं संख्या—1925—पें0एवंआर0—28/पाकालि/ 08—49 पी/89 दिनांक 07.08.2008 द्वारा परिपत्र जारी कर संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा किया कि वह इन प्रकरणों में किसी प्रकार का विलम्ब न लगने दें तथा यह सुनिश्चित करें कि जहाँ तक सम्भव हो, सेवानिवृत्त कार्मिक को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि को पेंशन एवं ग्रेच्युटी के आदेश कर दिए जाएँ। पेंशन प्रकरणों में लगने वाले विलम्ब को टालने संबंधित अधिकारियों की जबाबदेही सुनिश्चत करने हेतु प्रबन्धन ने विज्ञप्ति संख्या 135 विनियम—23/पाकालि—2001—5 विनियम/09 दिनांक 20.07.2001 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पेन्शन के मामलों का प्रस्तुतिकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन नियमावली 2001 प्रख्यापित की। **यह भी आदेश विद्यमान है कि आनुतोषिक के विलम्ब से भुगतान के परिणाम स्वरूप ब्याज दिये जाने की स्थिति में उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों से सम्पूर्ण ब्याज राशि की वसूली की जायेगी।**

संख्या : 271–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) / विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उनकी टिप्पणी संख्या–1092–औ0सं0 / 2016–28(154)AS / 14, दिनांक 19 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / विद्युत वितरण कम्पनियाँ / ट्रान्सको।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / विद्युत वितरण कम्पनियों / ट्रान्सको।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (पेन्शन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(ए0पी0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक